न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर0 ए0 एस0

निगरानी संख्या :— 03/2014

रामावतार पुत्र बैजनाथ अग्रवाल जाति महाजन, निवासी टमकोर तहसील मलसीसर हाल हैदराबाद जरिये मुख्तयार गोकुलचन्द सोनी पुत्र सोहनलाल सोनी निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं (राज.)

—निगरानीकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत टमकोर जरिये सरपंच विजयकुमार भंसाली, सरपंच ग्राम पंचायत टमकोर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं
2. पवन कुमार पुत्र स्व. चम्पालाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी टमकोर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं हाल आबाद कलकता (पं. बंगाल)

— गैर निगरानीकारान

निगरानी अ0धा0 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध ग्राम पंचायत टमकोर संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.01.2013 द्वारा जारी
पट्टा संख्या 022 दिनांकित 05.02.2013

उपस्थिति :—

1. श्री प्यारेलाल सिलाईच, एडवोकेट — निगरानीकारगण की ओर से।
2. श्री मो. रफीक खान, एडवोकेट — गैर निगरानीकार नं. 1 व 2 की ओर से

—निर्णय— दिनांक :— 16.11.2017

उक्त उनवानी निगरानी विरूद्ध संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.01.2013 द्वारा जारी पट्टा संख्या 022 दिनांकित 05.02.2013 ग्राम पंचायत, टमकोर के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि :— गैर निगरानीकार नम्बर 2 के पक्ष में गैरनिगरानीकार नम्बर 1 द्वारा जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि निगरानीकार क स्वामित्व अधिपत्य की है, जिसका ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा दिनांक 4.12.1969 को निगरानीकार के नाम पट्टा जारी किया हुआ है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

ग्राम पंचायत टमकोर को अपने रिकार्ड के आधार पर ज्ञान था कि जैर निगरानी पट्टा जो जारी कर रही है वह भूमि निगरानीकार क स्वामित्व कब्जे की भूमि है जिसके निगरानीकार के पक्ष में पट्टे बने हुये है, लेकिन निगरानीकार को हैरान परेशान करने के लिए गैर निगरानीकार नम्बर 1 द्वारा गैर निगरानीकार नम्बर 2 के पक्ष में षडयंत्र पूर्वक पट्टा जारी किये है। निगरानीकार हैदराबाद में कारोबार के सिलसिले में रहता है। गैरनिगरानीकार नम्बर 1 व 2 उक्त पट्टों के आधार पर निगरानीकार को उसके पट्टेशुदा स्वामित्व की भूमि से बेदखल कर देवे तथा जैर निगरानी पट्टे के आधार पर निगरानीकार के स्वामित्व की भूमि को किसी व्यक्ति को विक्रय कर देवे या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देवें, जिससे निगरानीकार को आर्थिक नुकसान हो तथा मानसिक पीड़ा हो। तथा निगरानीकार को बेवजह मुकदमे बाजी में उलझना पड़े। सभी गैर निगरनीकार द्वारा किया गया उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए निगरानीकार अलग से अपनाधिक प्रकरण उन्हे दण्डित करवाने के लिए दर्ज करवायेगा। गैर निगरानीकार नम्बर 1 द्वारा पट्टा दिनांक 05.02.2013 का जारी किया जाना लिखा है तथा इसी पट्टे में गैर निगरानीकार नम्बर 2 द्वारा पट्टा फीस दिनांक 05.03.2013 को जमा करवाना लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि पट्टा पट्टा फीस जमा करवाने से पूर्व जारी किया है जो कानूनन जारी नहीं किया जा सकता है। जिससे भी स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार पट्टा की सम्पूर्ण कार्यवाही मनमानें रूप से पंचायत कार्यालय में बैठकर की गयी है। नियमों की कोई पालना नही की गयी है नियम विरूद्ध कार्यवाही निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत टमकोर ने जो निगरानी पट्टा जारी करते समय यह माना है कि भूमि पर गैर निगरानीकार का 25 वर्ष से अधिक का कब्जा है जबकि गैर निगरानीकार नम्बर 2 द्वारा पट्टा प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र के साथ निगरानीकार नं. 2 का एक फर्जी (INDEMNITY BOND) दिनांक 20.04.2012 व फर्जी इकरारनामा दिनांकित 11.04.2012 निगरानीकार के नाम का प्रस्तुत किया गया है इससे साबित है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि निगरानीकार क स्वामित्व व पट्टेशुदा भूमि है उक्त (INDEMNITY BOND) ग्राम पंचायत के रिकार्ड पर आने के बाद भी ग्राम पंचायत टमकोर ने जैर निगरानी पटटा जारी किया है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं होने के बाद जारी किया है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत टमकोर ने सम्पूर्ण कार्यवाही कार्यालय में बैठकर तैयार की है नियमों की पालना नहीं की है। मनमानी कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति के स्वामित्व की कब्जे की भूमि का दीगर व्यक्ति को पट्टा देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। अतः निगरानी निगरानीकार प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी निगरानीकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत टमकोर का संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.01.2013 व पट्टा संख्या 021 दिनांकित 05.02.2013 बहक गैर निगरानीकार नम्बर 2 निरस्त फरमाया जावें।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि गैर निगरानीकार नम्बर 2 के पक्ष में गैरनिगरानीकार नम्बर 1 द्वारा जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि निगरानीकार क स्वामित्व अधिपत्य की है, जिसका ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा दिनांक 4.12.1969 को निगरानीकार के नाम पट्टा जारी किया हुआ है। ग्राम पंचायत टमकोर को अपने रिकार्ड के आधार पर ज्ञान था कि जैर निगरानी पट्टा जो जारी कर रही है, वह भूमि निगरानीकार क स्वामित्व कब्जे की भूमि है जिसके निगरानीकार के पक्ष में पट्टे बने हुये है, लेकिन निगरानीकार को हैरान परेशान करने के लिए गैर निगरानीकार नम्बर 1 द्वारा गैर निगरानीकार नम्बर 2 के पक्ष में षडयंत्र पूर्वक पट्टा जारी किये है। निगरानीकार हैदराबाद में कारोबार के सिलसिले में रहता है। गैरनिगरानीकार नम्बर 1 व 2 उक्त पट्टों के आधार पर निगरानीकार को उसके पट्टेशुदा स्वामित्व की भूमि से बेदखल कर देवे तथा जैर निगरानी पट्टे के आधार पर निगरानीकार के स्वामित्व की भूमि को किसी व्यक्ति को विक्रय कर देवे या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित कर देवें, जिससे निगरानीकार को आर्थिक नुकसान हो तथा मानसिक पीड़ा हो। तथा निगरानीकार को बेवजह मुकदमे बाजी में उलझना पड़े। सभी गैर निगरनीकार द्वारा किया गया उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है जिसके लिए निगरानीकार अलग से अपनाधिक प्रकरण उन्हे दण्डित करवाने के लिए दर्ज करवायेगा। गैर निगरानीकार नम्बर 1 द्वारा पट्टा दिनांक 05.02.2013 का जारी किया जाना लिखा है तथा इसी पट्टे में गैर निगरानीकार नम्बर 2 द्वारा पट्टा फीस दिनांक 05.03.2013 को जमा करवाना लिखा हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि पट्टा पट्टा फीस जमा करवाने से पूर्व जारी किया है जो कानूनन जारी नहीं किया जा सकता है। जिससे भी स्पष्ट है कि गैर निगरानीकार पट्टा की सम्पूर्ण कार्यवाही मनमानें रूप से पंचायत कार्यालय में बैठकर की गयी है। नियमों की कोई पालना नही की गयी है नियम विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर ग्राम पंचायत टमकोर का संकल्प संख्या 3 दिनांक 21.01.2013 व पट्टा संख्या 022 दिनांकित 05.02.2013 बहक गैर निगरानीकार नम्बर 2 निरस्त फरमाया जावें।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकारान ने बताया कि ग्राम पंचायत, टमकोर द्वारा आबादी भूमि में विधिक प्रकिया के अन्तर्गत प्रश्नगत पट्टे जारी किये गये हैं प्रकरण में की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। ग्राम पंचायत टमकोर के प्रस्ताव संख्या–3 दिनांक 21.1.2013 जो सदन का सर्वसमति

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

से लिया गया निर्णय है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाकर निर्णय प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 21.1.2013 को जारी पट्टा संख्या–22 दिनांक 05.2.2013 को यथावथ रखा जावें।

मैंने निगरानी पत्रावली एवं मिसल ग्राम पंचायत टमकोर एवं कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। निगरानीकार ने निगरानी एवं बहस में प्रश्नगत पट्टे के संबंध में मुख्य बिन्दू यह उठाया है कि– गैर निगरानीकार नम्बर 2 के पक्ष में गैरनिगरानीकार नम्बर 1 द्वारा जिस जगह का पट्टा जारी किया गया है वह भूमि निगरानीकार के स्वामित्व अधिपत्य की है, जिसका ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा दिनांक 04.12.1969 को निगरानीकार के नाम पट्टा जारी किया गया था जो पट्टा निगरानीकार के वंशजो के समय से काबिज होने के आधार पर जारी किये गया था जो ग्राम पंचायत टमकोर के रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम पंचायत को किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की भूमि का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। जैर निगरानी पट्टा निरस्त होने योग्य है।

निगरानीकार द्वारा वर्णित उक्त पट्टों के संबंध में ग्राम पंचायत टमकोर से रिकार्ड तलब किया गया । सचिव, ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा अपने पत्रांक 180 दिनांक 09.11.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि–ग्राम पंचायत टमकोर में दिनांक 4.12.1969 को जारी उक्त पट्टों के संबंध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत इन पट्टों की वैधानिकता एवं पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा जारी होने की की पुष्टि नहीं होती है।

जहां तक प्रश्नगत पट्टा संख्या–22 दिनांकित 05.2.2013 का प्रश्न है। गैर निगरानीकार संख्या 2 पवन कुमार पुत्र चम्पालाल अग्रवाल द्वारा ग्राम पंचायत टमकोर के समक्ष आबादी भूमि में पट्टा प्राप्त करने हेतु विधिवत आवेदन किया गया है। उसके उपरान्त 3 वार्डपंचों का कमिशन नियुक्त किया गया है। नियमानुसार 3 वार्डपंचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत हुई जिन्होंने पट्टा जारी करना उचित बताया है। दिनांक 08.1.2013 को ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में आक्षेप/आपति नोटिस जारी किया गया है जिसमें भूमि का पूर्ण विवरण अंकित किया गया है। दिनांक 21.1.2013 की ग्राम पंचायत टमकोर की बैठक में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से उक्त पट्टा जारी करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी अनुपालना में पट्टा संख्या 22 दिनांक 05.2.2013 को गैर निगरानीकार नंबर 2 पवनकुमार के पक्ष में जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत टमकोर के कार्यवाही रजिस्टर एवं पट्टा पत्रावली के अवलोकन से उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता । निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पट्टे के

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

संबंध में ग्राम पंचायत टमकोर में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अगर निगरानीकार के पास पहले से जारी पट्टे थे तो वे ग्राम पंचायत टमकोर के पास आक्षेप के समय प्रस्तुत करते। निगरानीकार के मौखिक कथनों का खण्डन ग्राम पंचायत के पत्रांक 180 दिनांक 09.11.2017 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से होता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत टमकोर द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनायी जाकर जारी किये गये पट्टे को निगरानीकार के मौखिक कथनों पर विश्वास करके निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जहांतक निगरानीकार द्वारा पट्टा फीस बाद में जमा करने का प्रश्न है, प्रायः सरपंच एवं ग्राम सचिव ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों में माइनर विधिक त्रुटियां पाई जाति हैं, लेकिन निगरानीकार ने पत्रावली पर ऐसी कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है जिसपर विश्वास करके एक ग्राम पंचायत सदन द्वारा विधिक प्रकिया अपनायी जाकर जारी किये पट्टों को माइनर त्रुटियों को आधार बनाकर निरस्त किया जा सके। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार की इस निगरानी में कोई बल नहीं होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–आदेश–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की यह निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत टमकोर के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 21.1.2013 द्वारा जारी पट्टा संख्या–22 दिनांक 05.02.2013 यथावत रखा जाता है। मिसल ग्राम पंचायत टमकोर आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू